न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी – सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या – 157/2017
दायरा दिनांक – 12.12.2017
निर्णय दिनांक – 24/8/21

उनवान

1. रामकुंवार पुत्र परला जाति मेघवाल
2. बनवारी पुत्र परला जाति मेघवाल निवासीयान सरदारसिंह की ढाणी तन आलमपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज.

--वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र सोणाराम जाति मेघवाल निवासी कुन्हाडा (कल्याणपुरा) तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज.
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राज.

--प्रतिवादीगण

वाद घोषणात्मक एवम् स्थाई निषेधाज्ञा
दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण-

1. वादीगण– श्री जगमाल खोवाल एड.
2. प्रतिवादी सं. 1 – एक पक्षीय
3. प्रतिवादी सं. 2 – पैरोकार सरकार

निर्णय

आज यह पत्रावली मेरे समक्ष वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल आराजी खसरा नं. 663 रकबा 0.63 हैक्ट. साबिक खसरा नम्बर 469/9 रकबा 02 बीघा तथा हाल आराजी खसरा नं.634 रकबा 0.51 हैक्ट. साबिक खसरा नं. 464/9 रकबा 02 बीघा वाके मौजा आलमपुर तहसील बानसूर जिला अलवर को दौराने बन्दोबस्त सम्वत 2060 की आराजी से बनाया गया है। विवादित आराजी साबिक खसरा नं. 469/4 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा वादीगण की माता भूरी देवी के नाम सन् 1976 में व साबिक खसरा नं. 469/9 रकबा 02 बीघा वादीगण की माता भूरी देवी के नाम सन् 1975 में अलॉटमेन्ट हुई थी और उसी दिन से वादीगण की माता व उसके फौत हो जाने के बाद उसके जायज विधिक वारिसान आज दिन तक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी के साबिक खसरा नं. 469/9 रकबा 2 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 को वादीगण की माता भूरी देवी ने पूर्व में ही जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दिया था जिसका नामान्तकरण राजस्व कर्मचारियों ने चढा दिया था और प्रतिवादी संख्या 01 को वादीगण की माता ने खसरा नं. 469/9 का ही कब्जा सम्भलाया था और प्रतिवादी संख्या 01 उसी समय से खसरा नं. 469/9 पर ही काबिज था और उसी दिन से आज दिन खसरा नं. 469/9 पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 01 ने चालाकी से न्यायालय के समक्ष मिथ्या तथ्य

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

अंकित कर सम्वत् 2052 में शुद्धि पत्र के जरिये खसरा नं. 469/9 के बजाय अपने नाम खसरा नं. 464/9 को अपने नाम करवा लिया जबकि खसरा नं. 464/9 से प्रतिवादी संख्या 01 को कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। आराजी खसरा नं. 464/9 पर हमेशा से वादीगण ही काबिज काश्त रहे हैं। अब प्रतिवादी के मन में बेईमानी आने पर अब वादीगण की आराजी खसरा नं. 464/9 पर भी कब्जा करने की फिराक में है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 मुताबिक बयनामा के आराजी खसरा नं. 469/9 पर ही काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 01 ने गलत तथ्यों के आधार पर शुद्धि पत्र के जरिये अपने आप को आराजी खसरा नं. 469/4 के बजाए खसरा नं. 464/9 का खातेदार दर्ज कराया है इसलिए शुद्धिपत्र 02 सम्वत् 2052 वाके मौजा आलमपुर खारिज किये जाने योग्य है जिसे खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 को खसरा नं. 469/9 का खातेदार दर्ज किया जाना तथा वादीगण को खसरा नं. 464/9 का खातेदार दर्ज किया जाना न्याय संगत है। गलत इन्द्राजात के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 ने दिनांक 10.11.2017 को कब्जा करने का प्रयास किया यदि प्रतिवादी अपने इस कृत्य में सफल हो गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य में सम्भव नहीं होगी और साथ ही मुकदमें बाजी को बढावा मिलेगा। अतः मुताबिक अनुतोष वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वाद दर्ज पंजिका किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 01 को वाद में उपस्थिती बाबत रजिस्टर्ड डाक सम्मन तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रतिवादी संख्या 02 ने बिन्दुवार जबाब पेश कर कथन किया है कि विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 469/9 रकबा 02 बीघा वादीगण की माता भूरी देवी ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी संख्या 01 को बेचान कर दिया था जिसका नामान्तकरण दर्ज हो चुका है।

वादी के वादपत्र व जबाब दावा के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :-

1. आया प्रतिवादी संख्या 01 ने न्यायालय के समक्ष मिथ्या तथ्य अंकित कर सम्वत 2052 में शुद्धि पत्र के जर्ये खसरा नम्बर 469/9 के बजाय अपने नाम 464/9 को दर्ज करवा लिया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

--जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण का वाद तथ्यों के विपरित होने के कारण खारिज होने योग्य है।

--जिम्मे प्रतिवादी

वादीगण ने अपने मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र पी.डब्ल्यु-01 रामकुवार, पी.डब्ल्यु-02 बनवारी, पी.डब्ल्यु-03 भंवरसिंह, पी.डब्ल्यु-04 तेजपालसिंह पेश किये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श-01 नकल जमाबन्दी सम्तव 2052, प्रदर्श-02 रसीद बयनामा, प्रदर्श-03 नकल बयनामा संख्या 380 दिनांक 07.07.1992, प्रदर्श-04 व 05 नकल जमाबन्दी सम्वत 2069-72 खाता संख्या 209 व 183, प्रदर्श-06 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060, प्रदर्श-07 व 08 नकल आवंटन आदेश दिनांक 21.09.1975 व 27.06.1976, प्रदर्श-09 नकल इन्तकाल संख्या 481, प्रदर्श-10 नकल जमाबन्दी सम्वत 2052, प्रदर्श-11 नकल शुद्धिपत्र दर्ज करने का कार्यालय आदेश दिनांक

सहायक कलेक्टर
खैरथल (अलवर)

16.07.1996 तहसीलदार बानसूर पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा मौखिक बहस पर मनन किया जिसका तनकीवार विश्लेषण निम्नानुसार मेरे द्वारा निर्णय किया जा रहा है-

तनकी नम्बर 01-आया प्रतिवादी संख्या 01 ने न्यायालय के समक्ष मिथ्या तथ्य अंकित कर सम्वत 2052 में शुद्धि पत्र के जर्ये खसरा नम्बर 469/9 के बजाय अपने नाम 464/9 को दर्ज करवा लिया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों की ताइद में पेश दस्तावेज प्रदर्श-11 कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) बानसूर के पत्र क्रमांक/भू.अ./96/2062 दिनांक 16.07.1996 के अनुसार ग्राम आलमपुर के खसरा नम्बर 464/9 को रिकॉर्ड में शुद्धिपत्र के जर्ये दुरूस्त करने हेतु आदेश दिये गये थे लेकिन आपने अभी तक पालना नहीं की है अतः आपको पुनः आदेश दिये जाते है कि ग्राम आलमपुर का खसरा नम्बर 469/9 रकबा 02 बीघा अंकित करे खातेदारी रिकॉर्ड जमाबन्दी के मुताबिक बदस्तूर रहेगी। आदेश की पालना मे हल्का पटवारी द्वारा प्रदर्श-10 शुद्धिपत्र संख्या 02 ग्राम आलमपुर के खसरा नम्बर 469/9 रकबा 02 बीघा की बजाय 464/9 रकबा 02 बीघा की इन्द्राज दुरूस्ती दिनांक 05.04.1997 को स्वीकार की गई। नकल बयनामा दस्तावेज प्रदर्श-03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुसम्मात भूरी स्त्री परमा ने आराजी खसरा नम्बर 469/9 रकबा 02 बीघा मौजा आलमपुर को तादादी 34000/- हजार में प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल पुत्र सोणाराम निवासी कुन्हाडा तहसील कोटपूतली को बेचान किया गया है जिसका नामान्तकरण संख्या 481 दिनांक 12.10.1993 प्रदर्श-09 स्वीकार हुआ है।

वादीगण की माता भूरी द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 469/9 रकबा 02 बीघा मौजा आलमपुर को जर्ये बयनामा प्रतिवादी संख्या 01 को बेचान किया जाना प्रमाणित है जिस बयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 481 दर्ज होकर स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 01 ने राजस्व रिकॉर्ड के विरूद्ध अपने आपको खसरा नम्बर 469/9 के बजाय 464/9 का रकबा 02 बीघा अपने नाम खातेदारी में जर्ये शुद्धिपत्र संख्या 02 दिनांक 05.04.1997 को स्वीकार करवाया हे जो वादीगण की माता व स्वयं वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विपरीत होने से नाकाबिल पाबन्दी करार दिया जाना न्यायोचित है। वादीगण इस तनकी को अपने पक्ष में प्रमाणित कर साबित करने में सफल रहे हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नम्बर 01 का निर्णय वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

तनकी संख्या 02- आया वादीगण का वाद तथ्यों के विपरित होने के कारण खारिज होने योग्य है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं कि है बल्कि वादीगण द्वारा अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर हाल आराजी खसरा नम्बर 634 का रकबा 0.51 हैक्टेयर सम्पूर्ण तथा आराजी खसरा नम्बर 469//9 रकबा 02 बीघा वाके मौजा आलमपुर को जर्ये शुद्धिपत्र संख्या 02 सम्वत 2052 से समाप्त किया गया था जिसके नये नम्बर घोषित करवाने के अधिकारी हैं उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड

सहायक कलेक्टर
बानसूर (अलवर)

संशोधित किया जाना न्यायसंगत है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी नम्बर 02 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

अतः तनकी नम्बर एक व दो का निर्णय वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जा चुका है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के हक में आंशिक रूप सें डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद आशिंक रूप से डिक्री कर आदेश है कि वाके मौजा आलमपुर तहसील बानसूर जिला अलवर की हाल आराजी खसरा नम्बर 634 रकबा 0.51 हैक्टेयर सम्पूर्ण रकबा का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 663 रकबा 0.63 हैक्टेयर में से रकबा 0.12 हैक्टेयर का वादीगण को बहिस्सा बराबर में व शेष रकबा 0.51 हैक्टेयर का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मौजूदा इन्द्राज उक्त आराजी बाबत कलमजन किया जाकर मुताबिक घोषणा अमल कागजात दर्ज किया जावे। आदेश की पालना में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर) राज.

आज दिनांक 24/8/21 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी – सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या – 157/2017
दायरा दिनांक – 12.12.2017
निर्णय दिनांक – 24/8/21

उनयान

1. रामकुंवार पुत्र परला जाति मेघवाल
2. बनवारी पुत्र परला जाति मेघवाल निवासीयान सरदारसिंह की ढाणी तन आलमपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज.

--वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र सोणाराम जाति मेघवाल निवासी कुन्हाडा (कल्याणपुरा) तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज.
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राज.

--प्रतिवादीगण

वाद घोषणात्मक एवम् स्थाई निषेधाज्ञा
दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण-

1. वादीगण– श्री जगमाल खोवाल एड.
2. प्रतिवादी सं. 1 – एक पक्षीय
3. प्रतिवादी सं. 2 – पैरोकार सरकार

पर्चा डिक्री

अतः वादीगण का वाद आशिंक रूप से डिक्री कर आदेश है कि वाके मौजा आलमपुर तहसील बानसूर जिला अलवर की हाल आराजी खसरा नम्बर 634 रकबा 0.51 हैक्टेयर सम्पूर्ण रकबा का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 663 रकबा 0.63 हैक्टेयर में से रकबा 0.12 हैक्टेयर का वादीगण को बहिस्सा बराबर में व शेष रकबा 0.51 हैक्टेयर का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मौजूदा इन्द्राज उक्त आराजी बाबत कलमजन किया जाकर मुताबिक घोषणा अमल कागजात दर्ज किया जावे।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर) राज.

आज दिनांक 24/8/21 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर) राज.